2015/0007

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेन्द्र गुप्ता , आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 3 / 2015 (प्रा0पत्र–आवंटन निरस्तीकरण)

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा

(प्रार्थी)

बनाम

गंगाविशन आत्मज बद्रीलाल जाति महाजन निवासी ग्राम अरण्डखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ,

(अप्रार्थी)

उपस्थित :– 1. श्री गोविन्द सिंह (राजकीय अभिभाषक)
2. श्री हेमन्द्र सिंह आसावत अभिभाषक (अप्रार्थी की ओर से)

प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) अप्रार्थी का आवंटन निरस्त करने बाबत

निर्णय दिनांक : 18.12.2019

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी गंगाविशन को ग्राम अरण्डखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा मे स्थित आराजी ख0 नं0 1230 रकबा 15 बीघा भूमि आवंटन दिनांक 01.02.73 को हुई थी । इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.03.1983 से वादग्रस्त भूमि का आवंटन दिनांक 01.02.73 निरस्त किया गया । जिससे अप्रसन्न होकर आवंटी द्वारा मा0 राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा मे अपील प्रस्तुत की गई । मा0 राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 12.05.2004 से अपीलांट की अपील मियाद बहार होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.03.83 यथावत रखा गया । जिससे अप्रसन्न होकर आवंटी द्वारा मा0 राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे अपील प्रस्तुत की गई ।

माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 02.07.2015 से अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर दोनो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों को निरस्त किया जाकर पत्रावली इस न्यायालय को इन निर्देशों के साथ पुनः सुनवाई हेतु प्रेषित की है कि यदि अपीलार्थी ने मौके पर भूमि को कृषि योग्य बनाया है एवं काश्त की है तो उसकी मौका रिपोर्ट मंगवायी जावे तथा भूमि जमाबंदी मे अंकित नही होकर बिलानाम रही उस अवस्था मे यदि अपीलार्थी का बिलानाम भूमि पर कृषि कब्जा मानकर पटवारी ने पी– 14 मे अतिक्रमण दर्ज किया हो । राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय ने अपील प्रस्तुत करते समय सन् 2004 से पूर्व के पी–14 अथवा धारा 91 मे बेदखली की कार्यवाही की हो तो उसके दस्तावेज अपीलार्थी स्वंय न्यायालय मे प्रस्तुत करें एवं न्यायालय द्वारा इस तथ्य का परीक्षण कर नये सिरे से निर्णय पारित करें कि किसी भी दस्तावेज से अपीलार्थी का कृषि कब्जा अपील प्रस्तुत करने से पूर्व सन् 2004 से पूर्व का प्रमाणित होता है अथवा नही । यदि सन् 2004 से पूर्व का कोई कृषि कब्जा दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित होता है तो आवंटन बहाल योग्य होगा अन्यथा नही ।

2. माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 02.07.2015 से पत्रावली इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । दिनांक 17.08.2015 को अप्रार्थी के अभिभाषक उपस्थित हुये । मा0 राजस्व मण्डल के निर्णय की पालना में अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2038 से 2057 ग्राम अरण्डखेडा व नकल जमाबन्दी ग्राम अरण्डखेडा सम्वत् 2035 सक 2038 प्रस्तुत की गई । इसके अतिरिक्त अप्रार्थी की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये ।

3.. राजकीय अभिभाषक व वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई । राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस मे मा0 राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 02.07.2015 की पालना मे किसी भी दस्तावेज से अपीलार्थी का आवंटित भूमि का कब्जा सन् 2004 से पूर्व का प्रमाणित नही होता है । अतः इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.03.83 बहाल रखा जाकर अप्रार्थी का आवंटन निरस्त करने का निवेदन किया गया ।

4. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस मे कथन किया कि आवंटी द्वारा आवंटन की किसी भी शर्त का उल्लघंन नही किया है । अतः प्रार्थना पत्र बाबत आवंटन निरस्तीकरण खारिज किया जावे ।

5. पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष के अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया । माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 02.07.2015 की पालना मे अप्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है कि भूमि जमाबंदी मे अंकित नही होकर बिलानाम रही उस अवस्था मे यदि अपीलार्थी का बिलानाम भूमि पर कृषि कब्जा मानकर पटवारी ने पी–14 मे अतिक्रमण दर्ज किया हो । राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय मे अपील प्रस्तुत करते समय सन् 2004 से पूर्व के पी–14 अथवा धारा 91 मे बेदखली की कार्यवाही के संबंध मे भी अप्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेज इस न्यायालय मे प्रस्तुत नही किये है । अप्रार्थी का सन् 2004 से पूर्व का विवादित आराजी पर कब्जा संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही करने से उसका भूमि पर कब्जा प्रमाणित नही होता । ऐसी स्थिति मे अप्रार्थी का आवंटन बहाल योग्य नही पाया जाता । अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) भू –आवंटन नियम 1970 बाबत भू–आवंटन निरस्त किये जाने हेतु स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.03.83 बहाल रखा जाकर अप्रार्थी को ग्राम अरण्डखेडा तहसील लाडपुरा के खसरा नं0 1230 रकबा 15 बीधा का आवंटन निरस्त किया जाता है । तहसीलदार लाडपुरा को लिखा जावे कि वादग्रस्त आराजी यदि अप्रार्थी की गैर खातेदारी मे दर्ज हो तो उसे सिवाय चक दर्ज कर कब्जे राज ली जावे ।

6. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 18.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा